विधान परिषद् के द्‌वितीय सत्र 2025 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित डा० मान सिंह यादव, मा० सदस्य विधान परिषद् द्‌वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या-10 का उत्तर-

10 (क)	क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्‌यम मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ के निवासियों को रोजगार हेतु जिला उद्‌योग की किसी योजना के अंतर्गत ऋण दिलाये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18 मार्च, 2025 जो कि आपको संबोधित था, प्राप्त हुआ है?	जी हाँ।
(ख)	क्या उपरोक्तानुसार आइ०जी०आर०एस० संख्या-18157250042341 के अंतर्गत जिलाधिकारी लखनऊ को विशेष सचिव मुख्यमंत्री द्‌वारा भी आदेशित किया गया है?	जी हाँ।
(ग)	यदि हाँ, तो उपरोक्तानुसार जनपद स्तर पर सम्बंधितों को रोजगार के लिए ऋण दिलाये जाने हेतु	उक्त के कम में अवगत कराना है कि आईजीआरएस सं०-18157250042341 विशेष सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय द्‌वारा दिनांक 24.03.2025 को जिलाधिकारी, लखनऊ को अग्रसारित किया गया है, जिसे निस्तारण हेतु अग्रणी जिला प्रबन्धक, लखनऊ को दिनांक 25.03.2025 को अंतरित

किये गए प्रयासों का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	किया गया। उक्त के क्रम में अग्रणी जिला प्रबन्धक, लखनऊ द्वारा आईजीआरएस पोर्टल पर प्रविष्ट अपनी आख्या में अवगत कराया गया कि शिकायतकर्ता को अपने नजदीकी किसी बैंक शाखा में जाकर प्रोजेक्ट को बैंक के समक्ष रखकर ऋण के लिए आवेदन करना होगा और बैंक द्वारा प्रोजेक्ट को व्यवहार्य पाये जाने एवं गुण-दोष के आधार पर तथा समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराने एवं प्रक्रियाओं का अनुसरण करने पर उन्हें ऋण प्रदान किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त शिकायतकर्ता श्री शमशाद अली से जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों द्वारा वार्ता की गयी तथा दिनांक 31.07.2025 को कार्यालय में उपस्थित होने पर उन्होंने अवगत कराया कि रेस्टोरेन्ट का कार्य करने हेतु उन्हें रू0 01.00 लाख की आवश्यकता हैं, जिसके क्रम में श्री शमशाद अली को विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया, जिस पर श्री अली द्वारा द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अन्तर्गत ऋण लेने की इच्छा व्यक्त की गयी, किन्तु उनकी आयु कक्षा-8 की अंकतालिका में 40 वर्ष से कम एवं आधार कार्ड में 40 वर्ष (जन्म तिथि- 03.02.1985) से अधिक अंकित होने के कारण योजना में आवेदन कराया जाना सम्भव नहीं हो पाया। शिकायतकर्ता को आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि को संशोधित कराकर आवेदन कराने हेतु मार्गदर्शत किया गया, जिस पर शिकायतकर्ता द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गयी।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

राकेश सचान

मंत्री

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ०प्र०।